भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 2737

सोमवार, 18 अगस्त, 2025 (27 श्रावण, 1947, (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना की वर्तमान स्थिति

2737. श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संशोधित उड़ान योजना की प्रगति और प्रभावशीलता पर अद्यतन जानकारी क्या है, विशेष रूप से कितने नए मार्ग शुरू किए गए हैं और पिछले दो वित्तीय वर्षों सहित इसकी शुरुआत से अब तक कितने यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) क्षेत्रीय एयरलाइनों, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों को जोड़ने वाली एयरलाइनों की वित्तीय व्यवहार्यता और दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या विशिष्ट कदम उठा रही है; और

(ग) क्या सरकार ने टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर उड़ान योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन किया है, यदि हाँ, तो प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए हवाई संपर्क का लाभ उठाने की भविष्य की क्या योजना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): वर्तमान में चल रही आरसीएस-उड़ान योजना के तहत देशभर के 15 हेलीपोर्टों और 2 वॉटर एयरोड्रोमों सहित 92 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 637 आरसीएस मार्ग प्रचालनशील किए गए हैं।

उड़ान योजना के तहत दिनांक 15 जुलाई, 2025 तक 153.59 लाख घरेलू यात्रियों ने 3.14 लाख से अधिक आरसीएस उड़ानों में यात्रा की है।

अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए संशोधित उड़ान योजना निर्माणाधीन है।

(ख): उड़ान योजना क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन संचालकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें एयरलाइन प्रचालन लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और हवाईअड्डा संचालकों द्वारा रियायतें और इस योजना के तहत हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए ऐसे मार्गों पर परिचालन लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच के अंतर को पाटने हेतु व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) शामिल हैं।

मार्गों की दीर्घकालिक संधारणीयता और हवाईअड्डों की व्यवहार्यता में सुधार के लिए किए गए उपायों में शामिल है :

i) उड़ान योजना के तहत मार्ग अवार्ड करने से पहले एयरलाइनों को व्यावसायिक योजनाएँ प्रस्तुत करनी होंगी।

ii) सभी मौसमों में परिचालन के लिए उपयुक्त हवाईअड्डों पर विशेष दृश्य उड़ान नियमों और उपकरण उड़ान नियमों (आईएफ़आर) जैसी तकनीकों का संवर्धित प्रयोग।

iii) उड़ान योजना के तहत बंद किए गए मार्गों को अगले दौर में पुनः बोली प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

iv) हवाईअड्डों का व्यावसायिक व्यवहार्यता और यातायात की माँग के आधार पर उन्नयन किया जाएगा।

(ग): आरसीएस - उड़ान योजना ने दूरस्थ और अल्पसेवित क्षेत्रों तक बेहतर संपर्क के माध्यम से, टियर-2 और टियर-3 शहरों को सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करके और पर्यटन, व्यापार और रोज़गार को प्रोत्साहित करते हुए क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। उड़ान योजना ने दूरस्थ क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति प्रदान की है और देशभर में आर्थिक गतिविधियों में अधिक न्यायसंगत और समग्र विकास में योगदान दिया है।
